A 1/50

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 69/2012

वादीगण :–

1.भंवरसिंह पुत्र कूमसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी दीपपुरा
2.रतनसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी दीपपुरा
3.भैरूसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी दीपपुरा
4.विजेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी दीपपुरा
5.हरेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी दीपपुरा
6.मुस्मात गुलाब कंवर पत्नि रिछपालसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी दीपपुरा
तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रतिवादीगण

1.खेमसिंह उर्फ खींवसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर हाल निवासी श्याम परिधान, जे.एस.कॉलोनी, रोड़ नं. 17 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान
2.मुस्मात इचरज कंवर पत्नि स्व.जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा
3.आनन्दसिंह पुत्र स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा
4.कुमारी कोमल कंवर पुत्री स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा
5.कुमारी आजादी कंवर पुत्री स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा
6.कुमारी मीनाक्षी कंवर पुत्री स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा
आनन्दसिंह,कोमल कंवर, कुमारी आजादी कंवर, मिनाक्षी कंवर नाबालिग पुत्र व पुत्रिया जरिये संरक्षक कुदरती वली माता इचरज कंवर पत्नि जयदेव सिंह निवासी दीपपुरा हाल निवासी शांति नगर कालोनी, सूरज पोल गेट, गोविन्दगढ़, मन्दिर के पास, जालौर राजस्थान ।
7.राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार , कुचामनसिटी ।

दावा –इस्तकरार हक व भू–विभाजन,
अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता,वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 26/6/2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम दीपपुरा के गत खसरा नम्बर 54 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में नये खसरा नम्बर 175 रकबा 4.49 हैक्टर कायम हुए। पक्षकारान का सजरा खानदान वाद पत्र के पैरा संख्या 2 मे अंकित है । उपरोक्त भूमि पक्षकारान के पिता व दादा स्व. रावतसिंह जागीरदार से हासल पर लेकर काश्त करते थे तथा

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

काश्तकारी कानून लागू होने के बाद उपरोक्त भूमि रावतसिंह के कब्जे काश्त मे रही । गिरदावरी सम्वत् 2011 से सम्वत् 2022 तक व उसके बाद तक उनकी काश्त का गिरदावरी में इन्द्राज होता चला आ रहा था। रावतसिंह ने पुराने खसरा नम्बर 54 की भूमि का बंटवारा अपने जीवनकाल मे ही कर कब्जा काश्त उपरोक्तानुसार भूमि पर अपने चारो पुत्रो कूमसिंह,खेमसिंह,रतनसिंह व रिछपालसिंह को सौंप दिया था तब से चारो पुत्र अपने–अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर काश्त करते रहे । खेमसिंह ने उपरोक्त खसरा नम्बर में अपने हिस्से की 1/4 भूमि का बेचान सेवाराम, पीथाराम, नारायणराम, हनुमानराम पि. बलमाराम जाति कुम्हार निवासीयान दीपपुरा वालो को कर दिया था। शेष 3/4 हिस्सा की भूमि पर कूमसिंह, रतनसिंह, रिछपालसिंह काबिज खातेदार कृषक रहे । नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय पुराने खसरा नम्बर 54 की 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे सेवाराम वगैरह का 1/4 हिस्से की भूमि का खाता अलग होकर नये खसरा नम्बर अंकित हो गये । खसरा नम्बर 175 की भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 से 6 का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है । मौके पर काश्त की जाकर सींव नीव कायम की हुई है । खसरा नम्बर 175 के उत्तर से दक्षिण – पश्चिम तरफ 1/3 हिस्से की भूमि पर रतनसिंह का कब्जा काश्त है तथा बीच उत्तर से दक्षिण रिछपालसिंह के वारिसार वादी सं. 3 ता 6 का कब्जा काश्त है जिसकमे कुआ बना हुआ है तथा कुए पर विद्युत कनेक्शन वादी संख्या 3 भैरूसिंह पुत्र रिछपालसिंह केनाम है तथा उत्तर से दक्षिण –पूर्वी तरफ का कब्जा काश्त है । इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 स्वतः ही 40 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है । वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि की तस्दीक करने हेतु पटवारी हल्का को कुछ समय पूर्व कहा तो उन्होने खाता देखकर बताया कि नवीन खसरा नम्बर 175 की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज नही होकर बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होना बताया । प्रतिवादी संख्या एक ने सम्वत् 2026 के आस–पास उपरोक्त भूमि की खातेदारी राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली । जबकि उस पर चारो भाईयो का बराबर बराबर हिस्सा रहा है । रावतसिंह की मृत्यु सन 1980 में हुई । प्रतिवादी सं. एक द्वारा पुराने खसरा नम्बर 54 की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी बिना किसी न्यायालय के वैध आदेश के व बिना किसी वैध दस्तावेज के अपने नाम दर्ज करवाई । वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम दीपपुरा के खसर नम्बर 175 रकबा 4.49हैक्टर मे वादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा, व वादी संख्या 3 ता 6 को 1/3हिस्से के काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जावे,प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी न तो स्वयं करे तथा नही अपने एजेन्टो से करवावे तथा प्रश्नगत भूमि का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब प्रस्तुत किया ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A 3/52

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल की नकल, नामा.संख्या 240 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी नकल सम्वत 2011–2014, 2015–2018, 2023–2026, 2027–2030, 2047–2050, 2051–2054, 2059–2062, 2067–2070 एवं इसी प्रकार गिरदावरी नकल सम्वत 2011 से 2034, मतदाता सूची सन् 1975 की प्रमाणित प्रति , विद्युत बिल माह फरवरी 2015 की प्रति, नक्शा ट्रेस किश्तवार की नकल प्रस्तुत की ।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप वादी भंवरसिंह, रतनसिंह, भैरूसिंह एवं गवाह पूसाराम का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया ।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । वादी वकील ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की इस्तदुआ अनुसार खातेदारी घोषित फरमाई जावें तथा प्रतिवादी संख्या एक का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे, चूँकि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज रावतसिंह के कब्जे काश्त की रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने सम्वत 2026 के दौरान राजस्व अधिकारियो से सांठ गांठ कर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाली है एवं अपने 1/4 हिस्से की भूमि सेवाराम वगैरह को बैचान कर दी शेष 3/4 हिस्से की भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज की जावे । प्रतिवादी संख्या एक का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे । इसके सम्बन्ध में आर.आर.डी.2008 की नजीरे पेश कर वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि गत खसरा नम्बर 54 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा वक्त जागीर से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा रावतसिंह जागीरदार से हासल पर लेकर काश्त करते थे । काश्तकारी लागू होने के बाद उपरोक्त भूमि रावतसिंह के कब्ज काश्त में रही । रावतसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने चारो पुत्रो कूमसिंह,खेमसिंह, रतनसिंह एवं रिछपालसिंह को बराबर बराबर संभला दी । 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान सेवाराम पीथाराम नारायणराम हनुमानराम पि. बलमाराम जाति कुम्हार निवासी दीपपुरा को बेचान कर दी । शेष 3/4 हिस्से की भूमि के रावतसिंह के तीनो पुत्र काबिज रहे । खसरा नम्बर 54 के नये खसरा नम्बर 175 कायम हुए जिसका रकबा 4.49हैक्टर दर्ज रहा । जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 से 6 की निरन्तर कब्जा काश्त में भूमि चली आ रही है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 से 6 का निरन्तर रहने से स्वतः ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त हो चुके है । गत खसरा नम्बर 54 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि, रावतसिंह की मृत्यु 1980 के आस पास हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना किसी वैध दस्तावेज के सम्वत 2026 के आस पास उपरोक्त भूमि की खातेदारी अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा कूमसिंह रतनसिंह एवं रिछपालसिंह का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया । प्रतिवादी संख्या 1 का हक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 के हक अधिकारो तक स्वतः ही नल एण्ड वाईड है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हक एवं अधिकारो पर कोई विपरीत असर नही डालती है । प्रतिवादी संख्या एक अपने हक एवं हिस्से का बेचान करने पर खाते से नाम हटाया जावे एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 से 6 के नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा फरमाई जावे ।

वादीगण के वाद पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात, बयान वादी एवं गवाहान बयान एवं प्रस्तुत गिरदावरी नकल अनुसार सम्वत 2011 से 2022 तक रावतसिंह का कब्जा काश्त दर्ज रहा है । सम्वत 2032 में अकेले प्रतिवादी खेमसिंह का नाम दर्ज रहा है । जब जागीर रिज्यूम हुई तब से लेकर सम्वत 2022 तक गिरदावारी में रावतसिंह का नाम

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

अंकित रहा है । वकील वादीगण की बहस एवं प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो से यह प्रतीत होता है कि वक्त जागीर से रावतसिंह के नाम थी। उक्त आराजी को अकेले खेमसिंह ने अपने अकेले के नाम ही दर्ज करा ली । खेमसिंह बावजूद इतला अनुपस्थित रहे । न ही उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है । रावतसिंह के 4 पुत्र थे , खेमसिंह ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने से शेष बची भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 से 6 का आज दिन तक होने से एवं विद्वान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरो व बहस आदि का अवलोकन एवं मनन करने से न्यायालय का मत है कि उक्त आराजी रावतसिंह के नाम रही । उनकी मृत्यु के बाद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश बेचान इत्यादि के बिना अकेले खेमसिंह के नाम भूमि दर्ज नही होनी चाहिए थी । रावतसिंह के सभी वारिसान के बराबर बराबर दर्ज होनी चाहिए थी । इसलिए प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य एवं प्रस्तुत नजीरो के आधार पर वादीगण का वाद काबिल डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है ।

आदेश

ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 175 रकबा 4.49 हैक्टर में वादी संख्या एक भंवरसिंह पुत्र कूमसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा,व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 .मुस्मात इचरज कंवर पत्नि स्व.जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा आनन्दसिंह पुत्र स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा कुमारी कोमल कंवर पुत्री स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा कुमारी आजादी कंवर पुत्री स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा कुमारी मीनाक्षी कंवर पुत्री स्व. जयदेवसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा आनन्दसिंह,कोमल कंवर, कुमारी आजादी कंवर, मिनाक्षी कंवर नाबालिग पुत्र व पुत्रिया जरिये संरक्षक कुदरती वली माता इचरज कंवर पत्नि जयदेव सिंह निवासी दीपपुरा हाल निवासी शांति नगर कालोनी, सूरज पोल गेट, गोविन्दगढ़, मन्दिर के पास, जालौर राजस्थान को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 रतनसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा को 1/3 हिस्सा, व वादी संख्या 3 ता 6 भैरूसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा विजेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा हरेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा मुस्मात गुलाब कंवर पत्नि रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर को 1/3हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादी संख्या एक खेमसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाता है । राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 26/6/2015 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

3/8/15	वकील वादी उप० वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की माननीय न्यायालय के निर्णय दि० 28/6/15 में भूल से अधिवक्ता पुष्पेन्द्रसिंह के स्थान पर अधिवक्ता राजेश गुर्जर अंकित हो गया है संशोधन फरमावें वकील वादी की प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलब की गई पत्रावली के निर्णय दि० 28/6/15 का अवलोकन किया अवलोकन से निर्णय व डिक्री पर्चा में अधिवक्ता पुष्पेन्द्रसिंह के स्थान पर अधिवक्ता राजेश गुर्जर अंकित हो गया है जो लिपिकीय त्रुटी है जिसको संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होने से वकील वादी की प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 28/6/15 के निर्णय व डिक्री पर्चा में अधिवक्ता राजेश गुर्जर के स्थान पर श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता पढा जावे बाकी निर्णय यथावत रहेगा। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)